HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 3126/2024

Manish Khunteta S/o Narendra

----Appellant

Versus

Prahlad S/o Radheshyam (Deceased)

----Respondent

For Appellant(s)	:	Mr. D.D. Khandelwal, Adv.
For Respondent(s)	:	

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

11/07/2024

In SBCMA No. 3126/2024:

प्रत्यर्थीगण को पी.एफ. व नोटिस पेश होने पर अपील तथा धारा–5 परिसीमा अधिनियम प्रार्थना पत्र के नोटिस जारी किये जावें, प्रकरण चार सप्ताह पश्चात पुनः सूचीबद्ध किया जावे।

In SB Civil Misc. Stay Application No. 2636/2024:

आरोपित **वाहन के स्वामी** द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है। स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

सम्पूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए आदेश दिया जाता है कि आक्षेपित अवार्ड/निर्णय के अधीन ब्याज सहित 40प्रतिशत राशि अपीलार्थीगण द्वारा आज से 60 दिन के अन्दर अधीनस्थ अधिकरण में जमा करा दी जाती है तो आक्षेपित अवार्ड के तहत बकाया राशि के निष्पादन की कार्यवाही स्थगित रहेगी।

प्रत्यर्थी/गण के विरूद्ध अपील निर्णीत होने पर प्राप्तशुदा राशि 6 प्रतिशत ब्याज सहित लौटाने बाबत् यदि प्रत्यर्थी/क्लेमेंटस द्वारा अधीनस्थ अधिकरण में अंडरटेकिंग पेश की जाती है तो जमाशुदा सम्पूर्ण राशि का भुगतान प्रत्यर्थी/दावेदारान को किया जा सकेगा।

तदनुसार स्थगन प्रार्थना पत्र निस्तारित किया जाता है।

प्रत्यर्थी/दावेदारान को इस आदेश को संशोधित/उपांतरित कराये जाने हेतु आवेदन पेश करने की स्वतंत्रता होगी।

अधीनस्थ अधिकरण का अभिलेख यदि प्राप्त हो रखा है तो इस आदेश की पालना में राशि भुगतान हेतु अधीनस्थ अधिकरण को इस निर्देश के साथ प्रेषित किया जावे कि भुगतान कार्यवाही के पश्चात अभिलेख पुनः इस न्यायालय को प्रेषित किया जावे और यदि अभिलेख प्राप्त नहीं हुआ है तो राशि भुगतान किये जाने के पश्चात अभिलेख इस न्यायालय को प्रेषित किया जावे।

(UMA SHANKER VYAS),J

Mittal /427